संख्याः-24/2018/1319/अड़तीस-7-2018-06आ0/2018

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊः दिनांकः 19 जुलाई, 2018

विषयः- प्रदेश के समस्त जनपदों की ग्राम पंचायतों में सरकार द्वारा निर्मित आदर्श जलाशयों में गर्मियों के मौसम में सूखे हुए जलाशयों में पानी की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं जल संचयन के उद्देश्य से मृतप्राय नदियों, झीलों व सामुदायिक तालाबों के पुनरूद्धार/जीर्णोद्धार का कार्य कराये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-11/2017/881/अड़तीस-7-2017-1222/एसीएस/आरडी/2017, दिनांक 29-06-2017 द्वारा सुस्पष्ट दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- उपर्युक्त के अनुक्रम में शासन के संज्ञान में आया है कि प्रदेश के समस्त जनपदों की ग्राम पंचायतों में सरकार द्वारा निर्मित आदर्श जलाशयों में गर्मियों के मौसम में सूखे हुए जलाशयों में पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अतः आपसे अपेक्षित है कि अपने जनपदों की ग्राम पंचायतों में सरकार द्वारा निर्मित आदर्श जलाशयों में गर्मियों के मौसम में नलकूपों एवं नहरों के माध्यम से सिंचाई विभाग/लघु सिंचाई विभाग से समन्वय स्थापित कर प्रश्नगत जलाशयों में जल की उपलब्धता बनाये रखने हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने के साथ-साथ कृत कार्यवाही से अपर आयुक्त(मनरेगा), ग्राम्य विकास को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि आयुक्त/अपर आयुक्त(मनरेगा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से

अच्छे लाल सिंह यादव
विशेष सचिव।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।